1:– राकेश कुमार ...

.... वादी

– बनाम –

1:– परथा पिता हजारी जाति मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगू

2:– मनोहर पिता मदनलाल जाति मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगू

3:– नानी बाई पुत्री मदनलाल जाति मीणा हा0मु0 पति रमेश मीणा निव्यासो का बडला तह0 कोटडी जिला भीलवाडा

4:– शांतिबाई पति मदनलाल जाति मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगू

5:– माधु पिता रामचंद्र मीणा जाति मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगू

6:– भागीरथ पिता रामचंद्र मीणा जाति मीणा निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगू

7:– बालीबाई पिता रामचंद्र मीणा जाति मीणा निवासी डेकडीखेडा हा0मु0 पति शिवलाल मीणा निवासी उमरथूना त0 बेगूं

8:– शांति बाई पिता रामचंद्र मीणा जाति मीणा निवासी डेकडीखेडा हा0मु0 पति नारूलाल मीणा निवासी बल्दरखा तह0 बेगू

9:– श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार सा0 बेगू

10:–श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जी प्रतिनिधी राजस्थान सरकार चित्तौडगढ़ राज.

.......प्रतिवादी

उपस्थित :: अशोक शर्मा
अधिवक्ता वादी
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक : 02–08–2023

निर्णय वाद अ0धा0 88 राज0का0अधि0

वादी की ओर से वाद अ0धा0 88 राज0का0अधि0 का अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया है कि–

वादी व प्रतिवादी संख्या एक लगायत 8 की पैत्रिक संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मौजा डेकडीखेडा प.ह. राजगढ तहसील बेगूं में स्थित हैं जिसकी तफसील निम्न प्रकार है:–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
99	272	1.3700
	278	0.1600
	280	0.2400
	281	0.1400
	282	0.4300
	283	0.1200
	284	0.0500
	285	0.2300
	336	0.2300
	337	0.0600
	338	0.2900
	341	0.0400
	342	0.1000
	350	0.4000
	351	0.2000

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:14:14 IST
Reason: SelfAttested

वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात ... भूलवष व त्रुटिवष राजस्व ...
की कलम सं. 1 मे वर्णित पैत्रिक कृशि भूमि का भूलवष व त्रुटिवष ... 'पप्पुलाल पिता मदनलाल जी'
खोला गया उसमें वादी का नाम राकेष कुमार मीणा के बजाय 'पप्पुलाल पिता मदनलाल जी' ... एवं षैक्षणिक दस्तावेजों में वादी
अंकित कर दिया, जबकि वादी के समस्त सरकारी दस्तावेजों एवं षैक्षणिक दस्तावेजों में वादी
का नाम राकेष कुमार पिता मदनलाल जी मीणा अंकित है।

यह है कि पटवारी हल्का द्वारा वक्त नामांतरण बिना संपूर्ण तथ्यों की जांच एवं जानकारी किये बिना ही वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में पप्पुलाल अंकित कर दिया जबकी वादी का नाम समस्त सरकारी दस्तावेजों में राकेष कुमार मीणा अंकित है। ग्राम डेकडीखेडा प0ह0 राजगढ त0 बेगूं में राकेष कुमार पिता मदनलाल जी मीणा का वादी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है तथा राकेष कुमार पिता मदनलाल जी मीणा नाम का वादी अकेला व्यक्ति है।

कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में अंकित आराजीयत में स्व.मदनलाल जी की वादी की बाल्यावस्था में मृत्यु हो जाने से राजस्व कर्मचारी की गलती से वीरासत के नामांतरण में वादी का नाम राकेष कमार मीणा के बजाय 'पप्पुलाल मीणा' अंकित कर दिया है जिससे वादी को अनेक सरकारी योजनाओं के लाभो से वंचित होना पड रहा है। तथा वादी को अनेक कठिनाइयो का सामना करना पड रहा है।वर्तमान में भी वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में नाबालिग की हैसियत से दर्ज रिकार्ड है।वर्तमान में वादी पूर्णरूप से बालिग हो चुका है।

कि वादी कारण दिनांक 25.12.2021 को वादी द्वारा अपने खाते की नकल जमाबंदी प्राप्त की तो उक्त राजस्व कर्मचारियों की गलती की जानकारी हुई जिससे दिनांक 27.12.2021 से वादकारण उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

कि वादी के नाम को राजस्व रिकार्ड में राकेष कुमार मीणा पिता मदनलाल जी मीणा के रूप में दर्ज किए जाने घोषणात्मक आज्ञाप्ति हेतु वादी का यह वादपत्र न्यायालय श्री मान के समक्ष पेष है।

वादी न्यायालय श्री मान से निम्न अनुतोष की प्राथना है कि :—

कि मौजा डेकडीखेडा प0ह0 राजगढ त0 बेगूं की वादपत्र की कलम सं. 1 में वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम 'पप्पुलाल' पिता मदनलाल जी मीणा के बजाय राकेश कुमार मीणा पिता मदललाल जी मीणा अंकित कराये जाने की धोषणात्मक आज्ञाप्ति वादी के पक्ष में प्रदान करायी जावे।

कि अन्य कोई दाद मुफिद बहक वादी को विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराया जावे।

कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी वादी को प्रदान कराया जावे।

वाद अ0ध0 88 राज0का0अधि0 का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया जाने पर प्रतिवादी सं0 2, 4, 5 की ओर से इकबालिया जवाब पेश हुआ। एवं प्रतिवादी सं0 1, 3, 6, 7, 8 सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी सं0 10 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि पप्पूलाल का नाम राकेश कुमार ही है। अतः शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण में वादी राकेश कुमार के बयान कलमबद्ध कर दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी, प्रदर्श 2 नकल नामांतरण सं0 547, प्रदर्श 3 ग्राम पंचायत राजगढ़ का प्रमाण पत्र, प्रदर्श 4 नकल आधार कार्ड, प्रदर्श 5 नकल राशन कार्ड प्रति, प्रदर्श 6 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अंक तालिका, प्रदर्श 7 पेन कार्ड है।

वाद पत्र पर वकील वादी की बहस सुनी गई एवं प्रकरण में पस्तुत दस्तावेजों का हमारे द्वारा गहन अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श—1 नकल जमाबंदी समवत् 2078—2078 के खाता संख्या 108 आराजी स0 272 , 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 336, 337, 338, 341, 342, 350, 351 रकबा 4.0600 है0 भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजीयात है जिसमें वादी का नाम ना0बा0 पप्पुलाल पुत्र मदनलाल सरपरस्त माता शांतिबाई 1/48 हिस्सा दर्ज अंकित है। वादपत्र के अनुसार वादी अपना नाम पप्पुलाल पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:14:14 IST
Reason: SelfAttested

मीणा के बजाय राकेश कुमार मीणा पिता मदनलाल मीणा राजस्व रिकार्ड के उक्त आराजीयात में अंकित कराये जाने की घोषणा करना चाहता है। जिसकी ताइद में वादी रा प्रस्तुत दस्तावेज

प्रदर्श –2 नकल नामांतरण सं. 547 की प्रविष्टी से मदनलाल फौत होने पर मनोहर, पप्पुलाल ना0 बा0 पुत्र नानी पुत्री शांतिबाई पत्नि का विरासत से नामांतरण खोला गया था। जिसमें पप्पुलाल नाम अंकित किया गया है।

प्रदर्श–3 कार्यालय ग्रा.प.राजगढ के द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर प्रमाणित किया गया कि पप्पुलाल पिता मदनलाल मीणा का वर्तमान में सभी दस्तावेजों श्री राकेश कुमारी मीणा पिता मदनलाल मीणा नाम अंकित हैं एवं प्रकरण में प्रतिवादी सं 9 पैरोकार तहसीलदार बेगूं द्वारा अपने जवाब में पप्पुलाल का नाम राकेश कुमार ही है। अतः शुद्ध किया जाना उचित है। इस सभी दस्तावेजों का व जवाब दावा का उवलोकन करने पर दावा स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अ0धा0 88 राज0का0अधि0 स्वीकार किया जाता है। और तहसीलदार बेगू को निर्देशित किया जाता है कि मौजा डेकडीखेडा प0ह0 राजगढ के राजस्व रिकार्ड के खाता सं 108 आ.स. 272, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 336, 337, 338, 341, 342, 350, 351 कुल किता 15 कुल रकबा 4.0600 है0 भूमि में वादी का नाम ना0बा0 पप्पुलाल पिता मदनलाल मीणा के बजाय राकेश कुमार मीणा पिता मदनलाल मीणा दर्ज किए जाने की घोषणा कि जाती है।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2023 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:14:14 IST
Reason: SelfAttested